स्टेट ऑफ उतरांचल और अन्य

बनाम

सुनील कुमार सिंह नेगी

(सिविल अपील सं. 1924/2008)

12 मार्च, 2008

(डॉ. अरिजित पसायत और पी. सतशिवम जे.जे.)

श्रम कानून-सेवा से निष्कासन-श्रम न्यायालय द्वारा सेवा बहाल किए जाने के दिए गए निर्देश- अधिनिर्णय की अनुपालना में कर्मचारी को प्रवेश पत्र जारी किया जाना - कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित होने के स्थान पर सेवा बहाली नहीं करने के संबंध में धन वसूली हेतु दावा प्रस्तुत करना- नियोक्ता द्वारा प्रवेश पत्र जारी किये जाने तथा सहायक श्रम आयुक्त द्वारा कर्मचारी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए पत्र जारी किए जाने के वाबजूद उसका सेवा पर उपस्थित नहीं होना- तत्पश्चात सहायक श्रम आयुक्त द्वारा दावे की राशि के भुगतान के निर्देश इस आधार पर दिए गए कि बहाली उसी स्थान पर की जाए जहां से कमर्चारी को सेवा से निष्कासित किया गया- रिट याचिका -अस्पष्ट आदेश द्वारा खारिज-अपील पर अभिनिर्धारितः चूंकि उच्च न्यायालय का आदेश नियोक्ता के पक्ष के विचार को ध्यान में न रखकर अतार्किक होने से संधारणीय नहीं है- मामला उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

निर्णय-कारण-आवश्यक-अभिनिर्धारित- तर्क करना सुदृढ न्याय व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। यह प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता है। परिवादी ने अपीलार्थी के विरूद्ध औद्योगिक विवाद प्रस्तुत किया। श्रम न्यायालय द्वारा उसकी पुनः बहाली, बकाया मजदूरी और 6000/-रूपये के वाद खर्च का भुगतान करने के निर्दश दिए। अधिनिर्णय की अनुपालना में ,विभाग द्वारा प्रत्यर्थी को पत्र जारी कर कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु

कहा गया। प्रत्यर्थी द्वारा कार्य पर उपस्थित होने के स्थान पर सहायक श्रम आयुक्त के विरूद्ध एक वाद 92842/-रूपये की वसूली के लिए इस आधार पर दायर किया गया कि विभाग उसे पुनः बहाल करने में असफल रहा है। सहायक श्रम आयुक्त् ने विभाग को प्रत्यर्थी को पुनः सेवा पर उपस्थित होने हेतु पत्र जारी किए जाने के निर्देश् प्रदान किए गए। ऐसा किया गया, किन्तु इसके बावजूद प्रत्यर्थी कार्य पर उपस्थित नहीं आया।

सहायक श्रम आयुक्त् द्वारा स्वयं प्रत्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु कहा गया। प्रत्यर्थी ने यह कहते हुए प्रत्युत्तर दिया कि विभाग द्वारा उसको परेशान करने की दृष्टि से उसको जानबूझकर कर्तव्य पर उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। सहायक श्रम आयुक्त् ने अपीलार्थी को यह निर्देश प्रदान किए कि प्रत्यर्थी को जो राशि उसने मांग की है कि भुगतान करने के निर्देश प्रदान किए जो इस आधार पर किए कि प्रत्यर्थी को उसी स्थान पर बहाल करना चाहिए था जहां उसकी सेवायें निष्कासित किया गया। विभाग द्वारा रिट याचिका दायर की गइ । रिट याचिका अस्पष्ट आदेश होने के कारण खारिज की गइ। अतः वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील का निपटारा और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए न्यायालय ने अवधारित किया :

1.1 विभाग द्वारा शपथ पत्र में दिए गए तथ्यात्मक विवरण की दृष्टि से जो विशेष कदम उठाये हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संधारणीय नहीं है। प्रस्तुत तर्कों के अभाव में उच्च न्यायालय के आदेश संधारणीय नहीं है। (पैरा 6) (808-एफ)

1.2 तर्क करना सुदृढ न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य अंग है,, न्यायालय के समक्ष मामले में न्यायालय को कम से कम उन कारणों का अंकन करना चाहिए जो यह इंगित करें कि विवेक का उपयोग किया गया है, दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष

यह जान सके कि निर्णय उसके विरूद्ध क्यों हुआ है। दिए गए आदेश की स्पष्टता प्राकृतिक न्याय के हितकारी आवश्यकताओ में से एक है। (पैरा 8) (809-ए, बी)

उत्तरप्रदेश राज्य बनाम बट`टन व अन्य 2001(10) एससीसी 607; महाराष्ट राज्य बनाम विठठल राव प्रीतिराव चव्हाण, 1981(4) एससीसी 129; जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह व अन्य 1987(2) एससीसी 222; राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य 2003(11) एससीसी 519- पर आधारित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 1924/2008

उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल के रिट याचिका सं. 820/2005 के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 26-07-2006 से।

अपीलार्थी की और से अभिषेक अत्रे और अनुव्रत शर्मा

प्रत्यर्थी की और से पुनीत अग्रवाल डॉ. कैलाश चन्द

पी. सदाशिवम, जे. के द्वारा पारित न्यायालय का निर्णय

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट पिटिशन (एम/एस) सं. 820/2005 के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 26-07-2006 में पारित आदेश के खिलाफ पारित है जिसमें उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय की पुष्टि के साथ खारिज किया।

3. संक्षिप्त तथ्य प्रत्यर्थी अपीलार्थी बागवानी विभाग द्वारा दिनांक 07-09-1987 से दैनिक मजदूर के रूप में नि-युक्त किया गया था और इसके पश्चात जब कार्य उपलब्ध रहा तो समय-समय पर उसे नियुक्त किया गया। हालांकि उसने किसी भी कैलेण्डर वर्ष में 240 दिवस तक कार्य नहीं किया। उन्होंने स्वयं 09-07-1992 से दैनिक

मजदूर के रूप में कार्य नहीं किया। प्रतिवादी ने लगभग नौ वर्षों के पश्चात वर्ष् 2001 में एक ओद्योगिक विवाद प्रस्तुत किया जिसे श्रम न्यायालय देहरादून को भेजा गया था जो प्रकरण सं. 45/2001 के रूप में दर्ज किया गया। दिनांक 23-07-2001 को विभाग ने प्रत्यर्थी को बहाल करने के निर्देश दिए और उसे 5000/-रूपये बकाया वेतन के रूप में तथा 1000/-रूपये वाद खर्च के रूप में दिए जाने के निर्देश दिए। उपरोक्त अधिनिर्णय के अनुसरण में 6000/-रूपये जमा किए गए तथा प्रत्यर्थी को पत्र दिनांक 24-09-2002 द्वारा बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पौडी के तहत सरकारी फल संरक्षण केन्द्र, पौडी में दैनिक मजदूर के रूप में काम करने के लिए कहा गया था। हालांकि, प्रत्यर्थी ने ना तो एक महीने की लंबी अवधि के लिए उक्त विभाग में काम किया और न ही उक्त् पत्र का जवाब दिया। कार्य करने के स्थान पर उसने सहायक श्रम आयुक्त् के विरूद्ध एक याचिका 92842/-रूपये की दावा राशि के साथ ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत दायर की और इस आधार पर कि उसे कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया औरर इस तरह वह फरवरी, 2002 से जनवरी 2005 तक का वेतन पाने का हकदार है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त् याचिका में एक आपत्ति दायर की गइ जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी स्वयं अवज्ञा का दोषी है और उसने स्वयं ऐसा किया था और वह स्वयं दिनांक 24-09-2002 के पत्र के वाबजूद कार्यस्थल पर उपस्थित नही आया। सहायक श्रम आयुक्त् , गहढवाल मण्डल्, देहरादून ने आदेश दिनांक 01-10-2003 द्वारा प्रत्यर्थी को कार्यस्थल पर उपस्थित होने के लिए सूचित करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से एक पत्र जारी किए जाने के निर्देश अपीलार्थी को दिए। आदेश की अनुपालना में, दिनांक 08-10-2003 को प्रत्यर्थी को एक पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 31-12-2004 को सहायक श्रम आयुक्त ने स्वयं प्रत्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु कहा गया। कार्य पर उपस्थित होने के स्थान पर प्रत्यर्थी ने उसका प्रत्युत्तर यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि नियोक्ता ने उसे जानबूझकर उसे परेशान करने की दृष्टि से पौडी में

काम प्रदान किया है। दिनांक 27-05-2005 को सहायक श्रम आयुक्त गहडवाल मण्डल, देहरादून ने प्रत्यर्थी को 92842/-रूपये का भुगतान करने के लिए निर्देश दिए तथा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को उसी समय प्रत्यर्थी को उसी स्थान पर जहां वह पहले कार्य कर रहा था और जहां से उसकी सेवाओ को समाप्त कर दिया गया था, बहाल करना चाहिए था जबकि प्रतिवादी को श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय को रद`द करने के लिए पौडी में काम करने के लिए कहा गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओ ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल में 2005 की सिविल रिट याचिका (एम/एस) सं. 820 दायर की जिसे दिनांक 26-07-2006 को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त् आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति के माध्यम से इस अपील को प्राथमिकता दी।

4 अपीलार्थी की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक अत्रे तथा प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत अग्रवाल को सुना गया

5 यह जांचने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय के विवादित आदेश की याचिका संधारणीय है, उत्तरांचल राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में किए गए दावे का उल्लेख करना पासंगिक है। यह कहा गया था कि हालांकि प्रतिवादी सं 1 दिनांक 07-09-1987 पर दैनिक मजदूरी के रूप में लगाया गया था और उसके बाद जब काम उपलब्ध था तो उसने किसी भी कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन काम नहीं किया। श्रम न्यायालय के दिनांक 23-07-2001 के निर्णय के अनुसार बागवानी विभाग ने 6000/-रूपये की राशि जमा की और कर्मचारी को बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत सरकारी खाद्य संरक्षण केन्द्र, पौडी में दैनिक मजदूर के रूप में काम करने को कहा गया लेकिन कर्मचारी ने सहायक श्रम आयुक्त की सलाह को नजरअन्दाज कर दिया और उन्होंने एक याचिका सहायक श्रम आयुक्त पर दायर कर 92842/-रूपये की मांग की। इसके बाद उसी अधिकारी ने निर्देश दिया कि विभाग को यह मानते हुए

कि 92842/-रूपये का भुगतान करना होगा कि विभाग को उसी स्थान पर कमर्चारी को बहाल करना चाहिए था जहां उसकी सेवाआं को समाप्त कर दिया गया था। कइ अनुच्छेदों में विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अकेला कर्मचारी ही उनके द्वारा बार-बार पत्र भेजे जाने के बावजूद कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होने का दोषी था। और इस प्रकार 92842/-रूपये के दावे को अभिनिर्धारित करना न्यायोचित नहीं था। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने एक रिट याचिका सं. 820/2005 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के समक्ष दायर की।

6 अब हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का अवलोकन करना चाहिए जो इस प्रकार है-

> "मैंने, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-5-2005 का अवलोकन किया गया और उसमें कोइ भी अवैधानिकता नहीं पायी गयी जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अनुसार कोइ हस्तक्षेप करना पडे। इस प्रकार यह रिट याचिका सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।"

उपरोक्त वर्णित शपथ पत्र में विभाग द्वारा लिए गए विशिष्ट रूख को ध्यान में रखते हुए अतार्किक आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया कि संधारणीय नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश कारणों के अभाव के कारण संधारणीय नहीं है। ऐसा ही मत उत्तरप्रदेश राज्य बनाम बटटन अन्य (2001) 10 एससीसी 607 में अभिव्यक्त किया गया है। लगभग दो दशक पहले महाराष्ट राज्य बनाम विठठल राव प्रीतीराव चव्हाण (1981) 4 एससीसी 129 में भी बोलते हुए आदेश की वांछितता के बारे में प्रकाशित किया गया था। कारणों को इंगित करने की आवश्यकता को न्यायिक रूप से

अनिवार्य माना गया है। जवाहर लाल सिंह बनाम नरेश सिंह व अन्य (1987) 2 एससीसी 222 में भी इसी विचार को दोहराया गया है।

7. राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य (2003) 11 एससीसी 519, में न्यायालय ने यह माना कि किसी भी नतीजे का कारण उसके दिल की धडकन है जिसके बिना वह निर्जीव हो जाता है।

8. तर्क का अधिकार सुदृढ न्यायिक प्रणाली का एक अंग है। एक तो यह कारण कि पर्याप्त रूप से सूचित करे कि न्यायालय के समक्ष जो मामला है उस पर न्यायिक विवेक का अनुप्रयोग किया है और दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सके कि निर्णय उसके विरूद्ध क्यों हुआ है। प्कृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओ में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है।

9. विशेष रूप से रिट पिटिशन में उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के आधार पर बागवानी विभाग द्रा विस्तार से लिए गए रूख और प्रतिपादित सिद्धांत के आलोप में कि तर्क का अधिकार सुदृढ न्यायिक प्रणाली का एक अंग है और इस विचार के अनुप्रयोग को दर्शाता है कि हम संतुष्ट है कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

10. इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त कर मामले को नए सिरे से तर्कपूर्ण आदेश द्वारा न्याय अनुसार निपटाने के लिए भेजा जाता है। अपील का निस्तारण कोइ खर्च के बिना किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते है कि हमने मामले के गुणदोष पर कोइ राय व्यक्त नहीं की हालांकि हमने विभाग द्वारा उनके रिट में लिए गए आधारों को स्वीकार किया है।

के.के.टी. अपील का निर्णय किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।